न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 34 / 2021

राजू कुशवाह पुत्र काशीराम जाति कुशवाह निवासी वार्ड संख्या 9 अस्पताल के पास, सेवडा रोड इन्दरगढ, दतिया (मध्यप्रदेश)।

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन टाटा मोटर्स योद्वा पिकअप संख्या एम पी / 32 जी 0506 व मुकदमा एफ. आई.आर संख्या 67 / 2021 पुलिस थाना सीकरी जिला भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री दिलीप कुमार, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांक 16.02.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी का वाहन टाटा मोटर्स योद्वा पिकअप संख्या एम पी / 32 जी 0506 का रजिस्टर्ड मालिक हूं। जिसे निजी कार्य हेतु प्राइवेट फाइनेन्स से किश्तो पर क्रय किया था। आर्थिक तंगी व निजी कारणों से उक्त वाहन जरिये मैमोरण्डम ऑफ सेल दिनांक 26.12.2020 को रामस्वरूप पुत्र मोतीराम कुशवाह निवासी मानगढ तहसील रौण जिला भिण्ड एम.पी हाल निवासी नानक नगर जम्मू कश्मीर को विक्रय किया था तथा बकाया सभी किश्तो को रामस्वरूप के द्वारा अदा करना तय हुआ था। रामस्वरूप ने फाइनेन्स की किश्ते जमा न कराने पर प्रार्थी द्वारा स्वंय किश्तें जमा कराई गई। पुलिस थाना सीकरी द्वारा प्रार्थी को सूचना दी कि आपका वाहन गोवंश ले जाते हुये पकडा है जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन का विक्रय कर दिया था तो पुलिस ने वाहन स्वामी होने के कारण समस्त कार्यवाही खिलाफ होगी तो प्रार्थी बकाया किश्तो को जमा करा

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

रहा है। प्रार्थी वाहन का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी ने उक्त वाहन को फाइनेन्स पर क्रय किया था, प्रार्थी को खडे हुये वाहन की किश्ते जमा करनी पड रही है । रामस्वरूप द्वारा उक्त वाहन को किसी फारूख खां निवासी जोतरी पीपल को विक्रय कर दिया गया था उसी ने वाहन में गोवंश को ले जाने की जानकारी प्रार्थी को नही थी। उक्त वाहन थाना सीकरी मे खुले मे रखा हुआ है तथा खराब हो रहा है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पूर्ण पालना करेगा। प्रार्थी द्वारा वाहन टाटा मोटर्स योद्धा पिकअप संख्या एम पी/ 32 जी 0506 को अपनी सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सीकरी से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना सीकरी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 06.01.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन को जरिये मैमोरेण्डम ऑफ सेल दिनांक 26.12.2020 को रामस्वरूप पुत्र मोतीराम को करा दिया था । उक्त वाहन फाइनेन्स पर होने के कारण क्रेता ने फाइनेन्स की किश्तों को नही भरा और किसी अन्य को बेचान कर दिया। उक्त वाहन का उपयोग गोवंश के परिवहन में किया गया है उसकी जानकारी सबंधित थाने से सूचना प्राप्त होने पर हुई। प्रार्थी का उक्त प्रकरण में कोई हस्तक्षेप नही है। प्रार्थी उक्त वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है जो कि क्षमा के योग्य नही है। गोवंश के परिवहन के लिए परमिट या रवन्ना भी नही था। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सीकरी की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सीकरी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट है मौके पर जब्त वाहन टाटा मोटर्स योद्धा पिकअप संख्या एम पी/32 जी 0506 में 14 गौवंश नर व मादा दोनों ही पाये गये। उक्त वाहन में उक्त गोवंश को क्रूरतापूर्वक एवं बेरहमी से भरा होने के कारण मृत पाये गये। जो कि अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है। गोवंश के परिवहन के लिए सक्षम प्राधिकारी का परमिट

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

या रवन्ना भी नही था। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व अनैतिक रूप से गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन टाटा मोटर्स योद्धा पिकअप संख्या एम पी / 32 जी 0506 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन टाटा मोटर्स योद्धा पिकअप संख्या एम पी / 32 जी 0506 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी सीकरी (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर